सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून,शनिवार, 21 जून, 2025 ई0

ज्येष्ठ 31, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

संख्या 1141/रा0नि0आ0अनु0–2/4324/2025

देहरादून, 21 जून, 2025

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–885/XII(1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 21 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे:–

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र	25.06.2025 से 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	29.06.2025 से 01.07.2025 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक)	03.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	19.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
द्वितीय चक्र	––तदैव––	––तदैव––	––तदैव––	08.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	––तदैव––

2. निर्वाचन कार्यक्रम दो चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण परिशिष्ट–क संलग्न है।

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों/स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 23.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रो तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

4. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अंधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

5. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन–पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन पत्रों की ब्रिकी ज़िला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।

7. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।

परिशिष्ट–क

परिशिष्ट–क

संख्या–1141 रा0नि0आ0–2/4324/2025 दिनांक 21 जून, 2025 का संलग्नक।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2025 हेतु चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रथम चक्र के निर्वाचन हेतु विकास खण्ड	द्वितीय चक्र के निर्वाचन हेतु विकास खण्ड
1	2	3	4
1	अल्मोड़ा	ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत भैंसियाछाना, लमगड़ा एवं चौखुटिया	सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग एवं द्वाराहाट
2	ऊधमसिंहनगर	खटीमा, सितारगंज, गदरपुर एवं बाजपुर	रूद्रपुर, काशीपुर एवं जसपुर
3	चम्पावत	लोहाघाट एवं पाटी	चम्पावत एवं बाराकोट
4	पिथौरागढ	धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी एवं कनालीछीना	विण, मूनाकोट, बेरीनाग एवं गंगोलीहाट
5	नैनीताल	बेतालघाट, ओखलकाण्डा, रामगढ एवं धारी	हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल एवं कोटाबाग
6	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड़ एवं कपकोट	
7	उत्तरकाशी	मोरी, पुरोला एवं नौगांव	डुण्डा, चिन्यालीसौड एवं भटवाड़ी
8	चमोली	देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ एवं नारायणबगड़	पोखरी, दशोली, नन्दानगर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैंण
9	टिहरी गढवाल	जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार एवं भिलंगना	कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर एवं चम्बा
10	देहरादून	चकराता, कालसी एवं विकासनगर	डोईवाला, रायपुर एवं सहसपुर
11	पौड़ी गढवाल	खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडाण्डा, बीरौंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर एवं पोखड़ा	यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट एवं कल्जीखाल
12	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ, जखोली एवं अगस्त्यमुनि	

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 निर्वाचन/276–2025–100+25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।